**Infiltration of Bangladeshis into Jammu and Kashmir**

1118. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any communication from the State Government of Jammu and Kashmir regarding infiltration of Bangladeshis into the State and their crossing over to Pakistan for training;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

**भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाया जाना**

1119. **श्री डी०पी० यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाये जाने का कार्य पूरा हो गया है, यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इसे पूरा करने में कितना समय लगा, तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान सीमा पर हुई गोलाबारी में कुल कितने-कितने जवान तथा सैन्य अधिकारी मारे गये; और

(ग) क्या सरकार ने सीमा पर इस गोलीबारी को रोकने हेतु आम सहमति बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):** (क) भारत की पाकिस्तान के साथ (जम्मू एवं कश्मीर में 790 कि०मी० नियंत्रण रेखा सहित) 3101 कि०मी० लम्बी सीमा है जो जम्मू एवं कश्मीर पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है पंजाब और राजस्थान सैक्टरों में 496.38 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1317/1325 किलोमीटर सीमा के साथ-साथ बाड-तेज रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) वर्ष 1997 और 1998 (नवम्बर 15 तक) के दौरान दोनो तरफ से हुई गोलीबारी में मारे गए भारतीय सुरक्षा कर्मियों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

| वर्ष | मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या |
|---|---|
| 1997 | 21 |
| 1998 | 79 |

(ग) सरकार को मामले की जानकारी है भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री आपरेशन के महानिदेशक नियमित संपर्क में हैं। इस मामले की चर्चा सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों के बीच होने वाली अर्द्धवार्षिक बैठकों में भी होती है।

**आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अंतर्गत विचाराधीन कैदी**

1120. **श्री डी०पी० यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अंतर्गत देश में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने टाडा को निरस्त कर दिया है;

(ग) क्या सरकार इस कानून के स्थान पर नया कानून लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):** (क) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 के अधीन 1022 व्यक्ति निरुद्ध हैं।

(ख) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 को मई, 1995 में व्यपगत होने दिया गया था।

(ग) और (घ) आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 1995 में एक वैकल्पिक कानून बनाने का प्रावधान है। मई, 1995 में राज्य सभा में पेश किया गया विधेयक अभी भी लम्बित है। राजनैतिक मतैक्य के अभाव में यह विधेयक पारित नहीं हो सका।